Annexure-10(A)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज/प्राइवेट मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–एम0ई0–1/2020/1363 लखनऊःदिनांकः 26 अप्रैल, 2020

विषयः–कोविड और नान कोविड मरीजों का उपचार अलग–अलग विल्डिंग में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कालेज, में कोविड–19 महामारी के तहत् राजकीय व प्राइवेट मेडिकल कालेजों में एल–2/एल–3 कोविड केयर फैसेलटीज को विकसित किया गया है। मेडिकल इंफेक्शन के प्रेवेंशन के लिये आवश्यक है कि ये दोनों सुविधाएं अलग–अलग बिल्डिंग में प्रदान की जायें।

उक्त के कम में सभी प्रधानाचार्य इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें कि जिस बिल्डिंग में कोविड–19 के मरीजों का उपचार किया जा रहा है उस बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की नान कोविड गतिविधि (जैसे कि वार्ड,ओ0टी0, आई0सी0यू0, डायलेसिस, एमरजेंसी आदि) संचालित न की जाये। इस सम्बन्ध में सभी प्रधानाचार्य कल दिनांक 27.04.2020 को 12:00 बजे तक स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा कोविड और नान कोविड के उपचार की पृथक–पृथक व्यवस्था कर ली गयी है और उनके बाहर के फोटो भी संलग्न कर दें।

भवदीय,

(के0 के0 गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–1/2020/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0 के0 गुप्ता)
महानिदेशक।